

सं०सं०-6/N-07-202/2015...173(6)

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
शुद्धि-पत्र

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ उपाध्याय,  
अवर सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार  
बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक: 28/02/2018

विषय:

समादेश याचिका संख्या-18015/2015 में दिनांक-02.02.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियावा, अनुमण्डलीय अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज, पटना में कार्यरत कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि एवं अन्य सेवान्त लाभ मदों से हुई अवैध निकासी के आलोक में श्री श्याम सुन्दर प्रसाद (सेवानिवृत्त) बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं अन्य सदृश्य मामलों में अन्य कर्मियों की ब्याज सहित (माह अगस्त 2017 तक) देय राशि कुल 3,55,77,320/- (तीन करोड़ पंचपन लाख सतहतर हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र) के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की स्वीकृति (सूची संलग्न) के संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय ज्ञापांक-1069(6), दिनांक-24.11.2017 के संदर्भ में आंशिक संशोधन।

प्रसंग:

सिविल सर्जन, पटना द्वारा प्रेषित पत्रांक-9476, दिनांक-09.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सिविल सर्जन, पटना द्वारा प्रेषित प्रासंगिक पत्रांक-9476, दिनांक-09.12.2017 के माध्यम से किये गये अनुरोध के आलोक में पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक-1069(6), दिनांक-24.11.2017 की कंडिका-10 में आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि सूचीबद्ध कर्मियों के नाम के सामने अंकित राशि की प्रतिपूर्ति हेतु सिविल सर्जन, पटना द्वारा उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, पालीगंज, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियावा/पालीगंज, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रतिपूर्ति की राशि उपावंटित की जा सकेगी ताकि संबंधित विपत्रों की शीघ्र ऑनलाईन कर निकासी करना संभव हो सके।

- 2 - पूर्व निर्गत प्रासंगिक पत्र के शेष अंश पूर्वत प्रभावी रहेंगे।
- 3 - प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त।

विश्वासभाजन

(रवीन्द्र नाथ उपाध्याय)

अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :- 173(6)

पटना, दिनांक 28/02/2018

- प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, पटना/ उपाधीक्षक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुमण्डलीय अस्पताल, पालीगंज, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियांवा/पालीगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी (पटन सिटी/दानापुर, पटना) को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री प्रसाद), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु आईटी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित।

28/2/18  
अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना।